मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल– 462003
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान)
MAULANA AZAD NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY BHOPAL- 462003
(An Institution of National importance under Ministry of Education, Govt. of India)

क्रमांक.AB/Estt./MR/2025/1059 दिनांक:02.06.2025

परिपत्र

विषय: कर्मचारियों और उनके आश्रितों का अस्पताल में भर्ती होने पर उपचार की प्रतिपूर्ति

संदर्भ: उप कुलसचिव (स्थापना) द्वारा जारी परिपत्र क्र. AB/Estt./MR/2023/108 दिनांक:19/01/2023

उपरोक्त के संदर्भ में संस्थान के सभी कर्मचारियों को सूचित किया गया था कि कर्मचारी या उनके आश्रित आवश्यक परीक्षण/परामर्श/उपचार के लिए मुख्यालय या मुख्यालय से बाहर होने की स्थिति में निजीअस्पताल/क्लीनिक/पैथोलॉजी/रेडियो डायग्नोसिस सेंटर भी जा सकते हैं। निजी प्रतिष्ठान के अस्पताल में भर्ती होने के मामले में कर्मचारी को संस्थान के चिकित्सा अधिकारी को पूर्व सूचित करना होगा। हालांकि, आपातकालीन स्थिति में अस्पताल में भर्ती होने के बाद ऐसी सूचना दो दिनों के भीतर दी जा सकती है।

तथापि, यह देखा गया है कि कई कर्मचारी उपर्युक्त दिशा-निर्देशों की उपेक्षा कर रहे हैं और न तो भर्ती होने पर पूर्व सूचना दे रहे हैं और न ही आपातकालीन स्थिति में, स्वयं या अपने आश्रितों के अस्पताल में भर्ती होने के 2 दिनों के भीतर सूचित कर रहे हैं।

अतः यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी निजी अस्पताल, चाहे वह सीजीएचएस के तहत सूचीबद्ध हो या गैर-सूचीबद्ध हो, में भर्ती होने की स्थिति में चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु केवल तभी विचार किया जाएगा जब ऐसे अस्पताल में भर्ती होने के लिए संस्थान के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी को पूर्व सूचना दी गई हो या आपातकालीन स्थिति में, अस्पताल में भर्ती होने के दो दिनों के भीतर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी को ऐसी सूचना प्रदान की गई हो। ऐसी सूचना पत्र या ईमेल के रूप में औपचारिक तौर से प्रदान की जानी चाहिए।

उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के मामले में किसी भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(कुलसचिव)

प्रतिलिपि:

1- समस्त संकायाध्यक्ष/विभाग प्रमुख/ केंद्र प्रमुख/अनुभाग प्रमुख - इस परिपत्र को सभी कर्मचारियों के बीच प्रसारित करने के अनुरोध के साथ
2- वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/ चिकित्सा अधिकारी, मैनिट भोपाल
3- प्राध्यापक प्रभारी (संस्थान वेबसाइट) - संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए
4- निदेशक के निज सचिव- निदेशक महोदय को सूचनार्थ।
5- कुलसचिव के निज सचिव - रिकार्ड हेतु।

विनोद राठौर
(कुलसचिव)
02/6/2025

मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल– 462003
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान)
MAULANA AZAD NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY BHOPAL- 462003
(An Institution of National importance under Ministry of Education, Govt. of India)

No.AB/Estt./MR/2025/ 1059 Date: 02.06.2025

CIRCULAR

Subject: Reimbursement for In Patient treatment (Hospitalization) of employees and their dependents.

Reference: Circular No. AB/Estt./MR/2023/108 dated:19/01/2023 issued by Deputy Registrar (Estt.)

With reference to the above, it was informed to all the employees of the institute that the employee or his/her dependent may also visit Private Hospital /Clinic/Pathology/Radio diagnosis Centres in HQ or away for necessary examinations/consultation/treatment. In case of hospitalization in a Private Concern, he/she shall give prior intimation to the Institute Medical Officer. However, in case of emergency, such intimation can be provided post hospitalization within two days.

However, it has been observed that many employees are neglecting the above-mentioned guideline and are neither giving prior intimation nor, in case of emergency, proving intimation within 2 days of hospitalization of themselves or their dependents.

It has now been decided that medical reimbursement in case of hospitalization in a private hospital, irrespective of it being empanelled or non-empanelled under CGHS, shall be considered only if a prior intimation is being given to the Senior Medical Officer/Medical Officer of the institute for such hospitalization or in case of emergency, such intimation has been provided to the Senior Medical Officer/Medical Officer within two days of hospitalization. Such an intimation should be formal in the form of a letter or email.

No medical reimbursement shall be considered in case of contravention of the above-mentioned guideline.

This is issued with the approval of competent authority.

(Registrar)

Copy to:

1. All Deans/All HoDs/All Centre In charges/All Section Heads – with a request to circulate Circular amongst all employees
2. SMO/MO, MANIT Bhopal
3. In charge Website – For upload on the website
4. PA to Director for the kind information of the Director
5. PA to Registrar for record.

(Registrar)
02/6/2025